न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 136 / 2022

उनवान

1. रामसिंह,
2. सुखपाल पुत्र नन्दा,
3. सायरी पत्नि नन्दा,
4. सोभाग पुत्री नन्दा,
5. हेमादेवी पत्नि रामधन,
6. सत्यनारायण,
7. दिनेश पुत्रगण रामधन
8. सुमित्रा पुत्री रामधन
9. स्वरूप पुत्र रामधन,
10. मधु,
11. कंचन पुत्री रामधन, समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सनोद, तहसील — नसीराबाद

——वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री फारूख खत्री

बनाम

1. अर्जुन,
2. कंचन पुत्री प्रभू,
3. ग्यारसी,
4. गोपाल पि. अमरा,
5. घमला पुत्री अमरा,
6. जसराज पुत्र उगमा
7. नाराज पुत्री प्रभु
8. पॉचूलाल पुत्र उगमा,
9. पारसी पत्नि अमरा
10. भंवरी पत्नि प्रभू,
11. रेखा पुत्र प्रभु
12. रामसुख पुत्र उगमा,
13. श्रीराम पुत्र जगन्नाथ,
14. संतोष
15. सीता
16. हनुमान पुत्र प्रभु
17. मोहनी पत्नि पॉचूलाल,
18. रूकमा पत्नि जगन्नाथ,
19. सुमन पुत्री पॉचूलाल,
20. सूरजीत पुत्र पॉचूलाल समस्त जाति जाट नि. सनोद
21. मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा सनोद,
22. राज. सरकार जरिऐ तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर।

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 21 उपस्थित

22 जरिये राज. पैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:25:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: निर्णय :- दिनांक :- 1.7.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद के खाता संख्या 596/575 किता 8 रकबा 1.77, 163/24 किता 4 रकबा 1.22, 595/574 किता 6 रकबा 0.94, 164/25 किता 9 रकबा 2.04 व खसरा नम्बर **244 रकबा 0.45** की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी आराजी की है। वादी संख्या 5 से 11 के पिता की मृत्यु हो गयी है जिनके वारिस वादी संख्या 5 से 11 है। उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 21 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने जाहिर किया कि वे वाद में मात्र विभाजन का अनुतोष चाहते है तथा प्रकरण में साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकोर की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 244 रकबा 0.45 पर वादीगण/पूर्वज का नाम अंकित नही है। शेष आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी में है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। वादीगण ने उक्त वाद मे विभाजन का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 21 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा का विभाजन होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव के समय भी प्रस्तुत कर सकते है। वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम सनोद के खाता संख्या 596/575 किता 8 रकबा 1.77, 163/24 किता 4 रकबा 1.22, 595/574 किता 6 रकबा 0.94, 164/25 किता 9 रकबा 2.04 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण [illegible]डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार [illegible] स्व[illegible]हन करे। इस आशय की प्राथमिक डिकी जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:25:18 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

राम सिंह बनाम अर्जुन

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 136 / 2022
पेश करने की दिनांक – 15.09.22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक फारूक खत्री मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम सनोद के खाता संख्या 596 / 575 किता 8 रकबा 1.77, 163 / 24 किता 4 रकबा 1.22, 595 / 574 किता 6 रकबा 0.94, 164 / 25 किता 9 रकबा 2.04 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 1 माह 7 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:25:18 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

राम सिंह बनाम अर्जुन.

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 136/2022
पेश करने की दिनांक – 15.09.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक फारूक खत्री मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम सनोद के हाल खसरा नम्बर 242, 243/1, 5375, 5376, 356, 352/1, 4548/6328/1, 7159/5427, 273/5569/1 रकबा क्रमशः 0.40, 0.4133, 0.06, 0.19, 0.42, 0.01, 0. 3133, 0.50, 0.09 का खातेदार वादीगण को मूल जमाबंदी खाता अनुसार व खसरा नम्बर 243/2, 245, 246, 250/5545, 251, 252, 352/2, 4555, 7151/5399, 4548/6328/2, 4549, 4550, 4551, 7163/123, 7155/4553, 1994, 271/5663, 272, 273/5569/2, 516/5664, 865/5758, 977 रकबा क्रमशः 0.0167, 0.15, 0.24, 0.05, 0.33, 0.18, 0.13, 0.11, 0.56, 0.0367, 0.10, 0.08, 0.03, 0.28, 0.10, 0.12, 0.02, 0.21, 0.06, 0.06, 0.01, 0.7 का खातेदार प्रतिवादीगण को मूल जमाबंदी खाता अनुसार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 27 माह 1 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:25:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद